विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

Letter no. 139 dt 23/05/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/40
दिनांक 28.04.2026

आयुक्त, नगर निगम दुर्ग
बी.पी. नं. 1002422409
मो. नं. 8208396855

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग,
   छ.स्टे. पॉ. डि. कं. लिमिटेड, दुर्ग
2. सहायक अभियंता, दुर्ग शहर जोन,
   छ.स्टे. पॉ. डि. कं. लिमिटेड, दुर्ग

अनावेदकगण

विषय :नगर निगम दुर्ग के सड़क बत्ती के लिए स्थापित विद्युत कनेक्शन के मीटर रीडिंग में अनियमिता के संबंध में दिनांक को आदेश पारित किया गया

आदेश

(आज दिनांक 22.05.2026 को पारित किया गया)

विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह अभ्यावेदन किया गया है कि बी.पी. नंबर 1002422409, जो कि नगर निगम दुर्ग द्वारा सड़क बत्ती हेतु उपयोग किया जा रहा विद्युत कनेक्शन है, उसमें दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 तक मीटर खराब रहा एवं पावर फैक्टर शून्य प्रदर्शित किया गया।इस त्रुटिपूर्ण रीडिंग के आधार पर पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया, जो कि अनुचित है। अतः लगाए गए सरचार्ज को विलोपित कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई। प्रकरण की कार्यवाही दिनांक 08.05.2026 को प्रकरण की प्रथम सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक पक्ष से श्री मोहित मरकाम, सब इंजीनियर, नगर निगम दुर्ग उपस्थित हुए। अनावेदक पक्ष से श्री आलोक साहू, सहायक अभियंता, दुर्ग शहर जोन उपस्थित हुए। कार्यपालन अभियंता अनुपस्थित रहे।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि सड़क बत्ती हेतु स्थापित उक्त विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग अनियमित रही, जिसके कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी किए जाते रहे।

फोरम द्वारा सहायक अभियंता, दुर्ग शहर जोन को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी, पिछले तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग डायरी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। दिनांक 13.05.2026 को हुई सुनवाई में सहायक अभियंता द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी प्रस्तुत की गई। फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, बिलिंग अभिलेखों एवं पक्षकारों के कथनों का परीक्षण करने पर निम्न तथ्य परिलक्षित हुए— संबंधित कनेक्शन नगर निगम दुर्ग द्वारा सड़क बत्ती की विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग किया जा रहा है, जिसका वर्तमान मे स्वीकृत भार 17 किलोवाट है तथा यह एल.वी.-6 टैरिफ श्रेणी के अंतर्गत बिलिंग की जा रही है। दिनांक 06.01.2025 को उक्त कनेक्शन हेतु स्थापित मीटर डिफेक्टिव हो गया था तथा दिनांक 01.09.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। इस अवधि के दौरान औसत आधार पर 4139 यूनिट प्रति माह की बिलिंग की गई। उक्त औसत यूनिट का निर्धारण का आधार स्पष्ट नहीं है अतः विद्युत आपूर्ति संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिसंबर2024 से अगस्त 2025 तक का औसत का पुनर्निर्धारण कर बिल को संशोधित किया जाना उचित होगा

फोरम के परीक्षण में यह पाया गया कि मीटर बंद/डिफेक्टिव रहने की अवधि में भी पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाता रहा, जबकि ऐसी स्थिति में पावर फैक्टर की वास्तविक रिकॉर्डिंग संभव नहीं थी। अतः उक्त अवधि में लगाया गया पावर फैक्टर सरचार्ज अनुचित एवं अवैधानिक पाया गया।

अभिलेखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि अगस्त 2024 में अधिकतम मांग 17 किलोवाट दर्ज की गई तथा यह मांग लगातार तीन माह तक दर्ज रही। जबकि पूर्ववर्ती अवधियों में अधिकतम मांग लगभग 6 किलोवाट तक ही थी। विद्युत आपूर्ति संहिता एवं प्रचलित टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी भी लगातार तीन माह में दर्ज मांग स्वीकृत भार से अधिक हो तो इन तीन माह में दर्ज अधिकतम मांग स्वतः ही स्वीकृत भार के रूप में पुनः स्थापित किया जायेगा। उपर्युक्त मामले से प्राप्त स्वीकृत भार पर भार वृद्धि प्रभार लागू होगा, हालांकि तदानुसार बढ़े हुये भार पर सुरक्षा जमा की जरूरत नहीं होगी। अतः उक्त प्रावधान के अनुसार इस प्रकरण में उपरोक्त कनेक्शन का स्वीकृत भाग 17 किलोवाट अगस्त 2024 से किया जाना

उचित होगा एवं अगस्त 2024 से लगाए गए अधिकतम मांग अधिभार को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त परीक्षण एवं निष्कर्षों के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है—

1.दिसंबर2024 से अगस्त 2025 के दौरान विद्युत मीटर के स्टाप डिफेक्टिव रहने की अवधि के औसत खपत का पुनर्निर्धारण कर बिल को संशोधित किया जाए

2.बी.पी. नंबर 1002422409 के संबंध में दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 की अवधि हेतु लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किया जाता है।

3.अगस्त 2024 से अधिकतम मांग के आधार पर लगाए गए अधिभार को भी निरस्त किया जाता है तथा स्वीकृत भार 17 किलोवाट के अनुरूप बिलिंग सुनिश्चित की जाए।

4.अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि के विद्युत देयकों का पुनरीक्षण कर संशोधित बिल जारी करें। यदि उक्त मदों में किसी राशि की वसूली उपभोक्ता से की जा चुकी हो, तो उसे आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

5.समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

7. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

8.समस्त कार्यवाही संशोधित बिल जारी करने की कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेष से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

प्रकरण इस प्रकार निराकृत किया जाता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग